

**अनुदान संख्या 69 - कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय**  
**GRANT No. 69-MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित-	<i>Charged-</i>			
मूल	<i>Original</i>	7,14,00		
			7,15,35	-45,65
पूरक	<i>Supplementary</i>	47,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			33,67
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>			
		301,13,00	262,43,20	-38,69,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			30,21,36
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
प्रभारित-	<i>Charged-</i>			
मूल	<i>Original</i>	9,00,00		
			11,00,00	..
पूरक	<i>Supplementary</i>	2,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			Nil
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>			
मूल	<i>Original</i>	28,03,00		
			2,58,16	-26,44,84
पूरक	<i>Supplementary</i>	1,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			25,98,51

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, कुल बचतें (45.65 लाख रु.) मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 47.00 लाख रु. के पूरक विनियोग का 97 प्रतिशत और कुल स्वीकृत विनियोग का 6 प्रतिशत थीं।

**Notes and comments**

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.45.65 lakhs) constituted 97 percent of the supplementary appropriation of Rs.47.00 lakhs obtained in March, 2007 and 6 percent of the total sanctioned appropriation.

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Saving occurred under the following major head:-

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष '2070''	Major Head "2070"			
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services			
मू.	O.	706.00	719.33	707.55
पू.	S.	47.00		
पु.	R.	-33.67		

(I) "सतर्कता - केंद्रीय सतर्कता आयोग" के अंतर्गत 706.00 लाख रु. के मूल विनियोग को 47.00 लाख रु. का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर 753.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, जो रिक्त पदों के भरे जाने में विलंब होने और दैनिक मजदूरों का कम संख्या में काम पर लगाए जाने के कारण 45.45 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Vigilance - Central Vigilance Commission" - the original appropriation of Rs.706.00 lakhs was augmented to Rs.753.00 lakhs by obtaining supplementary appropriation of Rs.47.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.45.45 lakhs - due to delay in filling up of vacant posts and engagement of less number of daily wagers.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष '2052''	Major Head "2052"			
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services			
मू.	O.	6229.00	3693.93	3209.74
पु.	R.	-2535.07		
मुख्य शीर्ष '2051''	Major Head "2051"			
लोक सेवा आयोग	Public Service Commission			
मू.	O.	2422.00	2275.84	2254.30
पु.	R.	-146.16		
मुख्य शीर्ष '2055''	Major Head "2055"			
पुलिस	Police			
मू.	O.	11731.00	12359.61	12198.96
पु.	R.	628.61		

शीर्ष	Head		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत-
			Total grant	Actual expenditure	Saving-
मुख्य शीर्ष '2070'	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	7244.00	6328.63	6165.20	-163.43
पु.	R.	-915.37			

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

(I) 301.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 300.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2070" - "प्रशिक्षण - परियोजना मूल्यांकन के लिए क्षमता निर्माण" के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित संविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और स्थायी वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.301.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.300.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2070" - "Training - Capacity Building for Project Appraisal" - due to delay in finalisation of contracts with training institutions and non-approval of revised cost by Standing Finance Committee.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय" के अंतर्गत 3019.19 लाख रु. की बचत (6189.75 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, प्रधान मंत्री के सिविल सेवा पुरस्कार कार्यक्रम को स्थगित किए जाने, विज्ञापनों की संख्या में कमी आने, आधुनिकीकरण स्कीम का प्रचार न किए जाने, अच्छे अभिशासन के लिए क्षमता निर्माण पर विश्व बैंक परियोजना को विस्तार न दिए जाने, सीएसओआई भवन के निर्माण कार्य में विलंब होने और गरीबी को कम करने के लिए क्षमता निर्माण संबंधी परियोजना को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions" - saving of Rs.3019.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6189.75 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, postponement of Prime Minister's Civil Service Award Programme, reduction in number of advertisements, non-publicity of the Modernisation Scheme, non extension of World Bank Project on Capacity Building for good governance, delay in construction work of CSOI building and in finalisation of project on Capacity Building for Poverty reduction.

(III) मुख्य शीर्ष "2051" - "कर्मचारी चयन आयोग - स्थापना" के अंतर्गत 167.43 लाख रु. की बचत (2405.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई मैट्रिक स्तर की परीक्षा में उम्मीदवारों की कम संख्या होने, कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने और मामला न्यायाधीन होने की वजह से पूर्वोक्त क्षेत्रा कार्यालय के किराए की अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2051" - "Staff Selection Commission - Establishment" - saving of Rs.167.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2405.50 lakhs) was due to less number of candidates in Matric Level Exams undertaken by SSC, receipt of less medical claims and non-payment of rent of North Eastern Region office matter being subjudice.

(IV) मुख्य शीर्ष '2055' - "आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता - इंटरपोल और समन्वय स्कंध" के अंतर्गत 124.45 लाख रु. की बचत (403.10 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय सूचना आयोग के भवन के निर्माण के लिए प्रावधान को एक नए उप-शीर्ष को अंतरित किए जाने और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रशिक्षण केंद्रों के आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष '2070' - "प्रशिक्षण - अन्य प्रशिक्षण स्कीमें" के अंतर्गत 1157.41 लाख रु. की बचत (4065.80 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कैरियर के मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आरंभ किए जाने में विलंब होने, कुछ पाठ्यक्रमों को रद्द किए जाने और विदेश अध्ययन के आंशिक निधीयन के संबंध में कम आवेदन होने के कारण हुई।

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई:-

(I) मुख्य शीर्ष '2055' - "आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो" - 597.96 लाख रु. का अधिक व्यय (11277.90 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यपालक कर्मचारी वर्ग को विशेष प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किए जाने, निरीक्षकों के स्तर तक के कर्मचारी को एक महीने के अतिरिक्त वेतन की अदायगी किए जाने, व्यावसायिक शुल्क का भुगतान किए जाने और मुंबई बम धमाके मामले से संबंधित अनुवाद प्रभारों को दिए जाने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष '2070' -

(क) "प्रशिक्षण - लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी" - 310.84 लाख रु. का अधिक व्यय (1001.90 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आईएस अधिकारियों को दिए जाने वाले कैरियर के मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में अकादमी की अवसंरचना का उन्नयन किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "सूचना की पहुंच से संबंधित क्षमता निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना" -200.00 लाख रु. का अधिक व्यय (350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सोलह अतिरिक्त

(IV) Under Major Head "2055" - "Criminal Investigation and Vigilance - Interpol and Co-ordination Wing" - saving of Rs.124.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.403.10 lakhs) was due to transfer of provision for construction of Central Information Commission building to a new sub-head and slow progress under Modernisation Scheme for CBI Training Centers.

(V) Under Major Head "2070" - "Training - Other Training Schemes" - saving of Rs.1157.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4065.80 lakhs) was due to delay in commencement of Mid-Career Training Programmes of IAS Officers, cancellation of a few courses and less applications for partial funding of foreign study.

3. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "2055" - "Criminal Investigation and Vigilance - Central Bureau of Investigation" - excess of Rs.597.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.11277.90 lakhs) was due to grant of special incentive allowance to executive staff, payment of additional one month salary to the staff up to the rank of Inspectors, payment of professional fees and translation charges pertaining to Mumbai Bomb Blast case.

(II) Major Head "2070" -

(a) "Training - Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration" - excess of Rs.310.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1001.90 lakhs) was due to upgradation of Infrastructure of the Academy to provide Mid Career Training Programme to IAS Officers.

(b) "UNDP Project for Capacity Building for Access to Information" - excess of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.350.00 lakhs) was due to

राज्यों तक परियोजना का विस्तार किए जाने के कारण हुआ।

extension of the project to sixteen additional States.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (2644.84 लाख रु.) अगस्त, 2006 में प्राप्त किए गए 100.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 91 प्रतिशत थीं।

4. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.2644.84 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.100.00 lakhs obtained in August, 2006 and constituted 91 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष '4055'	Major Head "4055"			
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police			
मू.	O.	1010.00	11.45	11.45
पु.	R.	-998.55		
मुख्य शीर्ष '4059'	Major Head "4059"			
लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works			
मू.	O.	1793.00	293.04	246.71
पू.	S.	100.00		-46.33
पु.	R.	-1599.96		

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

(I) मुख्य शीर्ष '4059' - "सामान्य - निर्माण - केंद्रीय सूचना आयोग" के अंतर्गत 100.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं तथापि, जो कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए वास्तुकार को नियुक्त किए जाने में विलंब होने के कारण 64.86 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(I) Under Major Head "4059" - "General - Construction - Central Information Commission" - funds of Rs.100.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.64.86 lakhs - due to delay in engagement of Architect for construction of office buildings.

(II) मुख्य शीर्ष '4055' - "अन्य व्यय - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो" के अंतर्गत 998.55 लाख रु. की बचत (1010.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4055" - "Other Expenditure - Central Bureau of Investigation" - saving of Rs.998.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1010.00 lakhs) was due to delay in finalisation of Memorandum of Understanding with National Building Construction Corporation.

(III) मुख्य शीर्ष '4059' - "सामान्य - निर्माण - लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी" के अंतर्गत 1581.43 लाख रु. की बचत (1793.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और निर्माण कार्य के लिए विभिन्न अभिकरणों से अनुमति प्राप्त करने में विलंब होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4059" - "General - Construction - Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration" - saving of Rs.1581.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1793.00 lakhs) was due to delay in finalisation of tender by the Central Public Works Department and delay in obtaining clearance from various agencies for construction work.

---